भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1047

मंगलवार, 08 दिसम्बर, 2015/17 अग्रहायण, 1937 (शक)

उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए घरेलू संस्थागत निधि कोष

1047. श्री माजीद मेमन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपनी बढ़ रही आय के 5 प्रतिशत या प्रतिमाह लगभग 4000 करोड़ रुपए को शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार अब निधि के अंतर्वाह में आकस्मिक वृद्धि तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निधि के आहरण के कारण उत्पन्न उतार-चढ़ाव से निपटने के उद्देश्य से घरेलू संस्थागत निधियों का एक बड़ा कोष बनाना चाहती है;

(ग) क्या सरकार ने लघु पेंशन निधियों को शेयर बाजार में निवेश के लिए सेबी की सहायता लेने की अनुमति प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयन्त सिन्हा)

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय न्यासी मण्डल के अनुमोदन के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस वित्त वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ईटीएफ) में अपने कुल निवेश के 5% तक ही निवेश करेगा। ईटीएफ में निवेश अगस्त, 2015 के महीने में शुरू किया गया था और 30 नवम्बर, 2015 तक कुल 3174 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ख): केन्द्रीय न्यासी मण्डल ने एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ईटीएफ) में ही निवेश करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस निवेश का उद्देश्य निवेश पर अपनी आय को अधिकतम करना है।

(ग) और (घ): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1218

बुधवार, 9 दिसम्बर, 2015/18 अग्रहायण, 1937 (शक)

ईपीएफओ निधि का शेयर बाज़ार में निवेश

1218. श्री अहमद पटेल:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) फंड को शेयर बाज़ार में निवेश करने की अनुमति है; कायिक निधियां, बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करने हेतु क्या दिशा-निर्देश विद्यमान हैं ; और

(ख) अगले तीन वर्षों के लिए ईपीएफओ द्वारा कितना निवेश लक्षित है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने अलग-अलग स्टाकों में निवेश करने की अनुमति नहीं दी है। इसने केवल निफ्टी एवं सैंसेक्स आधारित सूचकांक के एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) में निवेश की अनुमति दी है। एक साधन के रुप में ईटीफ बाजार में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होता है।

(ख): सीबीटी ने दिनांक 31.03.2015 को आयोजित अपनी 207वीं बैठक में इस वित्तीय वर्ष अर्थात 2015-16 के लिए ईटीएफ में अपनी कुल कायिक निधि का 5 प्रतिशत तक निवेश करने का निर्णय लिया है। लगभग 15000 करोड़ रुपये की राशि 2017-18 तक अगले तीन वर्षों में ईटीएफ में निवेश होने का अनुमान है।

******

भारत सरकार
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1225

बुधवार, 9 दिसम्बर, 2015/18 अग्रहायण, 1937 (शक)

नए बाल श्रम कानून के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा

1225. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या **श्रम और रोजगार**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नये बाल श्रम कानून के तहत निजी संस्थान, कारखाने और घरों में काम कराने वाले लोग बाल श्रमिकों को भविष्य निधि अंशदान, बीमा, चिकित्सा सुविधाएं दिये जाने हेतु बाध्य हैं; और

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु कोई कानून बनाने पर विचार करेगी और सरकार बाल श्रमिकों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखेगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 कतिपय व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है एवं जहां बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध नहीं है वहां व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के कार्य की शर्तों को विनियमित करता है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 में संशोधन हेतु एक विधेयक वर्ष 2012 में राज्य सभा में पेश किया गया था। सरकार ने संशोधन विधेयक में आधिकारिक संशोधनों का निर्णय लिया है। संशोधन विधेयक के साथ-साथ आधिकारिक संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को पूरी तरह प्रतिषिद्ध करना, आयु की प्रतिषिद्धि को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम,2009 के अंतर्गत उल्लिखित आयु के साथ सहबद्ध करना तथा अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु नियोक्ताओं के लिए और कठोर सजा का प्रावधान करना शामिल है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1228

बुधवार, 9 दिसम्बर, 2015/18 अग्रहायण, 1937 (शक)

इक्विटी बाज़ार में प्रवेश करने वाली भविष्य निधियां

1228. श्री जेसुदासु सीलम:

क्या **श्रम और रोज़गार**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पहली बार होगा कि भविष्य निधियां इक्विटी बाज़ार में प्रवेश करेंगी और क्या सरकार ने इस कदम से जुड़े सभी खतरों पर विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार शेयर बाज़ार में ऐसे निवेशों के लिए गारंटी देगी;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या इस कदम का मजदूर संघों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था, यदि हां, तो इसके क्या कारण थे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ईपीएफ) में निवेश के माध्यम से इक्विटी बाजार में प्रवेश किया है।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने निवेश के साथ जुड़े संभावित जोखिम पर विचार करने के उपरांत ईटीएफ में निवेश के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (घ): सरकार ने स्टॉक मार्केट में ऐसे निवेश के लिए कोई गारंटी प्रदान की है क्योंकि ऐसे साधनों में निवेश बाजार की गतिविधियों के अधीन होता है।

(ड.): कुछ श्रमिकों संघों ने इक्विटी में निवेश के निर्णय पर अपनी अपात्तियां व्यक्त की हैं क्योंकि वे स्टॉक मार्केट में निवेश के साथ जुड़े जोखिम के बारे में चिंतित हैं।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2011

बुधवार, 16 दिसम्बर, 2015/ 25 अग्रहायण, 1937 (शक)

चाय बगान कामगारों को निम्न मजदूरी

2011. श्री तपन कुमार सेन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंद पड़े चाय बगानों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चाय बगान कामगारों को बहुत कम मजदूरी मिलती है और उन्हें सामाजिक सुरक्षाओं से वंचित रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, सरकार द्वारा उपचारात्मक कदम उठाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार देश में आठ(8) चाय बागान हैं। देश में बंद चाय बागानों के राज्य-वार विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	राज्य	बंद चाय बागानों की संख्या
1	पश्चिम बंगाल	06
2	असम	01
	केरल	01

(ख) और (ग): उत्पादक एसोसिएशनों और कामगार संघों के बीच सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया के माध्यम से किए गए तय समझौते के अनुसार चाय बागान कामगारों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

सरकार द्वारा बारहवीं योजना अवधि के दौरान चाय बोर्ड के माध्यम से विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनमें शामिल हैं: राज्य सरकारों और चाय बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित करना तथा सामाजिक कल्याण की प्रमुख परियोजना के अंतर्गत चाय उगाने वाले सभी क्षेत्रों को शामिल करने पर बल देना; राज्य सरकारों से अनुरोध करना कि बंद चाय बागान की भूमि के पट्टे को निरस्त करें तथा बागान का प्रबंधन करने के लिए नए पट्टों की पहचान करें; बंद चाय बागान के लिए पुनरुत्थान पैकेज बनाने में सहयोग करने के लिए नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करना तथा चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम के अंतर्गत चाय बोर्ड द्वारा बंद चाय सम्पदा में कामगारों के बच्चों को 3000/- रुपये का भुगतान।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2826

बुधवार, 23 दिसम्बर, 2015/2 पौष, 1937 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

2826. श्री प्रभात झा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कुल श्रमशक्ति का केवल दस प्रतिशत को, जो संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शेष नब्बे प्रतिशत श्रमशक्ति के लिए, जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु गत एक वर्ष के दौरान पर्याप्त नीतिगत उपाय किये गए हैं और आगे किये जाने हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): भारत सरकार ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मंच स्थापित किया है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 द्वारा छत्र प्राप्त है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया गया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन और अशक्तता छत्र; (ii) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ; (iii) वृद्धावस्था संरक्षण; और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किए जाने वाले अन्य किन्हीं लाभों से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याण योजनाएं निर्मित करने का प्रावधान है। असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा छत्र प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम,2008 की अनुसूची I में सूचीबद्ध विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं निम्नानुसार हैं:

I	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
ii	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
iii	जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
iv	हथकरघा बुनकर विस्तृत कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)
v.	हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)
vi	मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन (वस्त्र मंत्रालय)
vii	मछुवारों की राष्ट्रीय कल्याण योजना और प्रशिक्षण तथा विस्तार (पशुपालन, डेयरी एवं मतस्य विभाग)
viii	आम आदमी बीमा योजना (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
ix	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने विशेष रूप से असंगठित कामगारों को लक्षित करते हुए अटल पेंशन योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत अंशदान के स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2828

बुधवार, 23 दिसम्बर, 2015/2 पौष, 1937 (शक)

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

2828. डा के. पी. रामालिंगम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन लाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार एक ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जो औपचारिक अथवा अनौपचारिक क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक कामगार को न्यूनतम मजदूरी दिया जाना सुनिश्चित करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): संगठित(औपचारिक) क्षेत्र में नियोजित कामगारों को निम्नलिखित पाँच अधिनियमों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है:-

i. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
ii. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923
iii. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
iv. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
v. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961.

असंगठित क्षेत्र में नियोजित कामगारों को असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न स्कीमें निम्नानुसार हैं:-

i. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना।
ii. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।

iii. जननी सुरक्षा योजना।

iv. हथकरघा बुनकर विस्तृत कल्याण योजना।

v. हस्तशिल्प कारीगर विस्तृत कल्याण योजना।

vi. मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन।

vii. मछुवारों की राष्ट्रीय कल्याण योजना तथा प्रशिक्षण और विस्तार।

viii. आम आदमी बीमा योजना।

ix. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

(ग) और (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्रों में अनुसूचित रोजगार में नियोजित विभिन्न कामगार वर्गों की न्यूनतम मजदूरी नियत करने, पुनर्विचार करने तथा परिशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में नियत दरें केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरण, रेलवे प्रशासन, खान, तेल-क्षेत्र, प्रमुख पत्तन अथवा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम के अधीन स्थापनों पर लागू हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों का प्रवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया गया है। इसे दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन केन्द्र और राज्यों द्वारा उनके संबंधित अधिकार-क्षेत्रों के संबंध में किया जाता है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 406

बुधवार, 2 दिसम्बर, 2015/11 अग्रहायण, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के आश्रितों को बीमा लाभ में वृद्धि

406. श्री टी रतिनावेल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के आश्रितों को देय बीमा लाभ को मौजूदा 3.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 6.0 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इम्प्लाईज डिपोजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम, 1976 के तहत उक्त कदम से कर्मचारी

भविष्य निधि में योगदान कर रहे चार करोड़ सदस्यों को लाभ पहुंचेगा;

(ग) क्या सरकार ने बीमा योजना के लिए पात्र होने के लिए वर्तमान नियोक्ता के अंतर्गत एक

वर्ष तक लगातार रोजगार की शर्त को भी हटाने का निर्णय लिया है; और

(घ) क्या बीमा योजना हेतु पात्र होने के लिए एक दिन का रोजगार भी पर्याप्त है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): जी हाँ।

(ग): कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा(ईडीएलआई) स्कीम, 1976 के पैरा 22(3) के अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा(ईडीएलआई) के वर्धित लाभों की पात्रता के लिए मौजूदा नियोक्ता के अंतर्गत एक वर्ष के निरंतर रोजगार की शर्त थी। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने इस मानक को हटाने की सिफारिश की है ताकि सभी सदस्य वर्धित लाभों के हकदार हों। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ): ईडीएलआई स्कीम, 1976 की सदस्यता कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के सदस्यों के लिए इसकी सदस्यता लेने की तारीख से उपलब्ध है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 413

बुधवार, 02 दिसम्बर, 2015/11 अग्रहायण, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एस बी आई म्युचुअल फंड में निवेश की योजना

413. डॉ. के. पी. रामालिंगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) की शुरुआत में एस बी आई म्युचुअल फंड के माध्यम से 5000 करोड़ रुपए धनराशि के निवेश की योजना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ई पी एफ ओ पांच करोड़ अंशधारकों की 6.5 लाख करोड़ रुपए की पेंशन निधि का प्रबंधन करता है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ई पी एफ ओ अपने पास मौजूद धनराशि के साथ शेयर बाजार इक्विटि में प्रवेश करने पर भी विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एसबीआई म्युचुअल फंड के माध्यम से एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ईटीएफ) में निवेश करना प्रारंभ कर दिया है, जिसकी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रबंधन (एयूएम) के अंतर्गत कुल परिसंपत्ति लगभग 5,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2014-15 की मसौदा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में 3.79 लाख करोड़ रुपये, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में 2.38 लाख करोड़ रुपये तथा कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई), योजना, 1976 में 0.15 लाख करोड़ रुपये का प्रबंधन करता है। उक्त प्रारुप वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अंशदाताओं की कुल संख्या 3.49 करोड़ है।

(ग): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 417

बुधवार,02 दिसम्बर, 2015/11 अग्रहायण, 1937 (शक)

भविष्य निधि का भुगतान

417. श्री एस. थंगावेलु:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारियों के खातों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाता है तो भविष्य निधि का भुगतान चार घंटों या अधिकतम एक दिन में हो जाएगा;

(ख) क्या मार्च, 2016 से भविष्य निधि का भुगतान एक दिन में कर दिया जाएगा;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कई परिवर्तन किए हैं जैसे कि मासिक रिटर्न भरना, पीएफ कोड लेना और धन प्रेषण को आनलाईन सेवा के माध्यम से सरल बनाना एवं शीघ्रता से करना; और

(घ) क्या अभी तक पीएफ का भुगतान कागजी कार्रवाई द्वारा किया जाता है किंतु कुछ महीनों की समयावधि में यह बीते समय की बात होगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): स्थायी खाता संख्या (पैन), बैंक खाता, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड जैसे विभिन्न अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) को यूनीवर्सल खाता संख्या (यूएएन) डाटावेस में जोड़ा जा सकता है और आधार संख्या केवाईसी में से एक है।

इस समय भविष्य निधि (पीएफ) को चार घंटों अथवा अधिकतम एक दिवस के भीतर निपटाने के लिए समय-सीमा संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख): इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरणी (ईसीआर) प्रारंभ किया है जिसके माध्यम से नियोक्ता अपना अंशदान ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने प्रतिष्ठानों के ऑनलाईन पंजीकरण (ओएलआरई) का शुभारंभ किया है जिसके माध्यम से नियोक्ता प्रतिष्ठान के संबंध में पीएफ कोड संख्या ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं। वे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने अंशदान भुगतान का ऑनलाईन प्रेषण भी कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने राष्ट्रीय इलेक्टॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) भी आरंभ किया है जिसके माध्यम से दावा निपटान का भुगतान सदस्य के बैंक खाते में कर दिया जाएगा।

(घ): वर्तमान में पीएफ निपटान हेतु कागजी कार्रवाई की जाती है। तथापि , पीएफ दावों के ऑनलाईन निपटान में काफी समय लग सकता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 418

बुधवार,02 दिसम्बर, 2015/11 अग्रहायण, 1937 (शक)

इक्विटी में निवेश हेतु ईपीएफओ का प्रस्ताव

418. श्री एस. थंगावेलु:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार शेयर बाजार को स्थिर करने और अस्थिरता को कम करने के लिए अपनी 15 प्रतिशत आस्तियों को इक्विटि में निवेश करने के कर्मचारी भविष्य निधि के विचार का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) शुरुआत में अपने वृद्घिशील प्रवाह का केवल 5 प्रतिशत या लगभग 400 करोड़ रुपए प्रति माह ही लगाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निवेश के लिए निवेश पैटर्न को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें इक्विटी में 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के निवेश की अनुमति दी गई है। तथापि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने केवल एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ईटीएफ) में ही निवेश का निर्णय लिया है। ईपीएफओ द्वारा इस निवेश का उद्देश्य उसकी निवेश पर अपनी आय को अधिकतम करना है।

(ग) और (ख) सीबीटी के अनुमोदन के अनुसार, ईपीएफओ इस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल निवेश के 5 प्रतिशत तक का ही निवेश करेगा। ईटीएफ में निवेश अगस्त, 2015 के माह में शुरू हुआ है तथा 26 नवम्बर, 2015 तक कुल 2909 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1221

बुधवार, 9 दिसम्बर, 2015/18 अग्रहायण, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विनिमय व्यापार निधियों में किया गया निवेश

1221. श्री आनन्द शर्मा:

क्या **श्रम और रोज़गार**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि को अपनी कायिक निधि का एक भाग विनिमय व्यापार निधियों (ईपीएफ) में निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा निर्णय किए जाने से पूर्व हितधारकों से परामर्श किया गया था; और

(ग) सरकार के प्रस्तावों पर संगठनों और मुख्य मजदूर संघों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, हां।

(ख) और (ग): प्रस्ताव पर कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सरकारी प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय निकाय केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा चर्चा कर इसे अनुमोदित किया गया।

कुछ संगठनों और श्रमिक संघों ने इक्विटी में निवेश करने के निर्णय पर अपनीआपत्तियां जताईहैं। हालांकि, उनके सरोकारों के उपयुक्त उत्तर दिए गए हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 106

बुधवार, 9 दिसम्बर, 2015 / 18 अग्रहायण, 1937 (शक)

कर्मचारियों के भविष्य-निधि अंशदान को उनके खातों में जमा न किया जाना

***106. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गैर-सरकारी कारखानों और संस्थाओं के मालिकों द्वारा उनके यहां काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान को उनके खातों में जमा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को ऐसी शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त हुई शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

कर्मचारियों के भविष्य-निधि अंशदान को उनके खातों में जमा न किए जाने के बारे में श्री महेन्द्र सिंह माहरा द्वारा दिनांक 09.12.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल कुछ प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को जमा नहीं करवाते हैं।

(ग): ऐसे चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

i. जब कभी प्र तिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल होने योग्य पाए जाएं, उन्हें अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है।

ii. देय राशियों में चूक के मामले में, अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत जांच शुरू की जाती है।

iii. अधिनियम की धारा 8ख से 8छ के अंतर्गत देय राशियों की वसूली हेतु कार्रवाई शुरू की जाती है।

iv. देर से धन प्रेषण के मामले में , अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत दां डिक क्षतिपूर्ति लगाने हेतु तथा अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत ब्याज की गणना करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

v. अ धिनियम की धारा 14 के अंतर्गत चूककर्ताओं के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन दाखिल करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

vi. जब कभी यह पाया जाए कि भविष्य निधि अंशदान की कटौती कर्मचारियों के वेतन में से की गई है परन्तु निधि में जमा नहीं करवाई गई है , भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) की धारा 406/409 के तहत कार्रवाई की जाती है।

vii. वर्ष 2014-15 के दौरान, 228 प्रथम सूचना रिपोर्टें और 1490 अभियोजन दाखिल किए गए तथा अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत 14,000 जांचें चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध शुरू की गईं। भविष्य निधि के देरी से भुगतान हेतु, क्षतिपूर्ति एवं ब्याज के रूप में 730/- करोड़ रुपये की धनराशि संग्रहित की गई।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****